कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर
सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2017–18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–246/सज्जा–1–3–10/निस्तारण की प्रक्रिया दिनांक 22.03.2005 के क्रम में गठित की गई मूल्याकंन समिति द्वारा किये गये मूल्याकंन के क्रम में दिनांक 11.10.2017 को इस खण्ड के भण्डार परिसर कार्यालय सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, नलकूप उपखण्ड, मुजफ्फरनगर में अपरान्ह 03.00 बजे की जायेगी। धरोहर रा ि ा दिनांक 11.10.2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12 बजे तक जमा की जा सकेगी। उपरोक्त नीलामी हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों द्वारा नीलामी की निम्नानुसार धरोहर रा ि ा बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, जो अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, मुजफ्फरनगर के नाम बंधक होना चाहिए, के रूप में स्वीकार होगी। प्रत्येक लोट की टोकन धनरा ि ा का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 अलग–अलग स्वीकार किया जायेगा। नीलामी में कम दर होने पर नीलामी दाताओं की जमा धरोहर धनराशि नीलामी के दिनांक से अगले दिन वापिस की जायेगी। निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी निम्नानुसार अलग–अलग लॉट में नीलामी की जायेगी, जिसकी बोलीदाताओ द्वारा लॉट के अनुरूप अलग–2 बोली लगाई जायेगी।

क0 सं0	सामग्री का नाम	लॉट सं0	इकाई	अनुमानित मात्रा	टोकन मनी की धनरा ि (रू0 में)	नीलामी की तिथि/दिन	नीलामी का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सबमर्सिबल पम्प सैट 15 से 25 एच0पी0 विद वायर एंड जी0एम0	1	संख्या	119	15000	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
2	वी0टी0मोटर 15 से 20 एच0पी0 विद एसईसी वायर तथा बाऊल एसेम्बली 2/3 स्टेज विद जी0एम0 एंड आयरन स्कैप	2	संख्या	93	10000	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
3	सबमर्सिबल पम्प सैट 15 से 25 एच0पी0 विदआउट वायर एंड जी0एम0	3	संख्या	36	2400	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
4	वी0टी0मोटर 15 से 20 एच0पी0 विदआउट वायर एंड जी0एम0 तथा बाऊल एसेम्बली 3 स्टेज विदआउट जी0एम0 (आयरन)स्कैप	4	संख्या	40	2500	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
5	एम0एस0पाईप 6''/8''/14'' स्लोटिड ओल्ड एंड यूज्ड एक्सट्रेक्टेड (स्कैप)	5	मीटर	1394.65	14000	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
			किग्रा0	32.60 (मै0टन)			
6	एम0एस0पाईप 6'' स्टेनर तथा 10''स्लोटिड ओल्ड एंड यूज्ड एक्सट्रेक्टेड (स्कैप)	6	मीटर	1094.12	13000	11.10.17	नलकूप खण्ड मु0नगर
			किग्रा0	32.75 (मै0टन)			

क्रम ाः– 2 पर...

शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

01– उपरोक्त सामान की नीलामी लॉटवार की जायेगी तथा नीलामी से पूर्व लॉट की बोली हेतु टोकन मनी की धनराशि बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में लॉटवार खण्डीय कैि ायर के पास जमा करनी होगी, जो कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर के नाम बंधक होनी चाहिए।

02– उपरोक्त सामान की नीलामी जैसी है, जहां है, के आधार पर की जायेगी।

03– उपरोक्त सामान को किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–चतुर्थ एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता, भण्डार से सम्पर्क कर स्टोर पर देखा जा सकता है।

04– बिना धरोहर राशि जमा कराये कोई भी व्यक्ति / फर्म नीलामी में भाग नही ले सकेगा।

05– नीलामी हेतु समस्त निर्णय का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि टोकन मनी को सम्मिलित करते हुये बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा कराई टोकन मनी की धनराशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी।

06– बोली की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 तथा अन्य कर उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा।

07– नीलामी किये जाने वाली सामग्री की पूर्ण लॉट जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम किया जायेगा।

08– नीलामी किये गये सामान की नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा सूचना दी जायेगी और सूचना देने के 15 दिन के अन्दर नीलामी की अव ोष 75 प्रति ात धनरा ि सभी करों सहित जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई 25 प्रति ात धनरा ि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा सामान दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर नियमानुसार दिया जा सकता है।

09– स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमे दी गई समय अवधि के अन्दर बोलीदाता को सामग्री उठानी अनिवार्य होगी।

10– समयावधि मे सामग्री न उठाने की द ाा में अगर सामग्री में कोई क्षति होती है तो बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

11– फर्म अथवा बोलीदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगें इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवे ा नही करेगा।

12– नीलामी से सम्बन्धित अन्य भार्तें नीलामी से पूर्व पढकर सुनाई जायेगी।

13– निधारित भार्तो का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगां ।

14– फर्म व बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 नम्बर, पैन नम्बर, फोटो पहचान पत्र तथा जिलाधिकारी व समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रद्त चरित्र प्रमाण पत्र नीलामी से पूर्व मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

15– विज्ञप्ति में सूचित किसी भी सामान की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

कम्ाः– 3 पर...

16— नीलामी के प चात यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है, तो बोलीकर्ता के द्वारा जमा की गई धनरा ि ा वापिस कर दी जायेगी और उस स्थिति में बोलीकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति ब्याज इत्यादि का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

17— बोलीदाता द्वारा लॉट सं0—5 एवं 6 के लिये दर प्रति किग्रा0 स्वीकार की जायेगी।

18— नीलामी बोलने से पूर्व बोलीदाता को अपना नाम/हस्ताक्षर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी बोली अभिलिखित नहीं की जायेगी।

19— अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर समिति को नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।

20— समिति को नीलामी बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21— नीलामी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका आर्बीट्रेशन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, सहारनपुर के द्वारा किया जायेगा, जो बोलीकर्ता को मान्य होगा।

22— विवादित प्रकरण यदि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नलकूप मण्डल सहारनपुर से ऊपर जाता है तो प्रकरण मुजफ्फरनगर न्यायालय में ही मान्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड मुजफ्फरनगर।